पृष्ठ संख्या - 40

प्रपत्र–11

परियोजना का नाम :–
–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या

महोदय, यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 द्वारा 2008–09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए

- इसी कम में मुख्यालय कार्यालय द्वारा वर्ष 2008 के पत्रांक 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 से प्रारम्भ करते हुए वर्ष 2019 के पत्रांक 928/नियोजन /13–70–2019 दिनांक 14.03.2019 तक अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में परिवहन अन–आवासीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के आदेश दिए गए।
- इस सम्बन्ध में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 101 /नियोजन/2008–09 दिनांक 19–01–2009 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में ही परिव्यय एवं बजट का प्रावधान कर दिया गया था परन्तु दीर्घावधि तक उपयुक्त भूमि चयन एवं हस्तांतरण न होने के कारण यह परियोजना वर्तमान तक भी लम्बित है।
- <u>परियोजना के द्वितीय भाग</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशो के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13–113 /2017 दिनांक 26–08–2013से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में डाईविंग लाईसैंस आवेदकों के परीक्षण के लिए म ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया।
- <u>परियोजना के तृतीय भाग</u> के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 419/नियोजन /13/161 /2019 दिनांक 06–02–2020 तथा 2171 /नियोजन/13–161/2021 दिनांक के द्वारा 05–08–2021 के द्वारा सभी जनपदों में निरूद्व वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों के उल्लघनकर्ता चालाकों के काउसलिंग हेतु ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर भवन विकसित किये जाने हेतु भूमि चयन/आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।

महोदय उक्त के अनुपालन में उचित तथा पर्याप्त भूमि चयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा पत्राचार के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :–1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.740 हे0 भूमि / गैर कृषि भूमि {0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि} चिन्हित कर उपलब्ध कराई गई है।

जनपद मे तथा विशेषकर जनपद मुख्यालय, जो कि जन सुविधा के दृष्टिगत परियोजना निर्माण हेतु एकमात्र उपयुक्त स्थल है तथा जहॉ पर उक्त परियोजना स्थापित की जा सकती है, में अन्य कही भी उचित तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा कोई भी वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध नहीं है। प्रपत्र 04/संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार भी परियोजना निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संयुक्त निरीक्षण समिति ने भी भूमि की मांग के अनुरूप चिन्हित स्थल को सर्वथा औचित्यपूर्ण पाया है ।

निर्देशों/पत्रांकों की छायाप्रति,प्रपत्र 04 संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

पृष्ठ संख्या - 41

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 128 /नियोजन/13–70/2019

दिनांक 15- मार्च, 2019

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय–उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–4282/नियोजन/13--70/2018 दिनांक 27–09–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आतिथि तक कृत कार्यवाही एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

पृष्ठ संख्या - 42
अनुस्मारक-8

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
08–रामबाग, कॉवली, देहरादून।

पत्र संख्या– 1303 /नियोजन/2008 दिनांक: 07 जून,2008

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर।

विषय:–सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु परिव्यय बजट प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि/आबंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से सम्पर्क कर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीध्र सम्पन्न करायें। ताकि समय पर भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न हो सके, एवं बजट का सदुपयोग भी इसी वित्तीय वर्ष में हो सके।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

2811

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

12/6/08

पृष्ठ संख्या -43

कार्यालय परिवहन आयुक्त,उत्तराखंड
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून

पत्र संख्या'– 101 / नियोजन / 2008–09 दिनांक : 19 जनवरी 2009

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर, उत्तरकाशी।

विषय : सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवनों की स्थापना हेतु निशुल्क भुमि चयन के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 654 / नियोजन / 2008 दिनांक 27, अप्रैल,2008, पत्र संसख्या 1008 / नियोजन / 2008 दिनांक 15, मई 2008 एवं पत्र संख्या 1303 / नियोजन / 2008 दिनांक 09,जून 2008, पत्र संख्या 1905 / नियोजन / 2008 दिनांक 21,जुलाई 2008 एवं पत्र संख्या 2524 / नियोजन / 2008–09 / 08 दिनांक 02,सितम्बर 2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं जिस हेतु वर्ष 2008–09 में परिव्यय एवं बजट प्रावधान किया गया था किन्तु भूमि विभागके नाम हस्तांतरण न होने के कारण उक्त कार्यालय हेतु निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में अपने जिले से संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई संपन्न करें ताकि समय पर भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करना है कि भूमि चयन कर संबंधित भूमि का निरीक्षण / परीक्षण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

पत्र संख्या 101 दिनांकित 19 जनवरी

प्रतिलिपिः– संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौडी, हल्द्वानी एवं अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भूमि चयन की कार्रवाई कर प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

प्रभारी मुख्य सहायक
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, तथा
कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
23/1/09
सहायक
बागेश्वर

पृष्ठ संख्या - 44

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 6284 दिनांक 28.8.17

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन
सचिव / आयुक्त, परिवहन,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रैट /
अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति,
उत्तराखण्ड।

संख्या: 5345 / नियोजन / 13 113 / 2017 दिनांक: 26 अगस्त, 2017

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 61 / प्रवर्तन / एक 8(3) / स0सु0 / 2015 दिनांक 05-01-2016 एवं दिनांक 13-04-2017 को सम्पन्न विडियो कान्फ्रेन्सिंग बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यों हेतु परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं:-

1. वाहनों की फिटनेस जॉच करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना। (लगभग 3 एकड़ भूमि)
2. परिवहन कार्यालय में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा के लिए ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना। (लगभग 4,000 वर्गमीटर भूमि)

अभी तक मात्र जनपद हरिद्वार में उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि उपलब्ध हो पायी है। भूमि उपलब्ध करवाने में जिलाधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

अन्य जनपदों में अभी भूमि का चिन्हिकरण नहीं हो पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

प्रतिलिपि–1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2 मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

पृष्ठ संख्या -45

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या- 219 / नियोजन / 13-161 / 2019 दिनांक 06 फरवरी, 2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-रिट याचिका संख्या-2112 / एमएस / 2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2958 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-293 / 2018 दिनांक 09-07-2018 एवं दिनांक 01-11-2019 को मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने के लिये भूमि आवंटित करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को खड़ा करने (1) एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को काउन्सलिंग प्रदान करने के (2) उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ।
3- समस्त संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक ... अधिकारी
रूद्रपुर

दूरभाष-0135-2608105, 2608106, फैक्स: 2608108, ई-मेल: transportdept.uk@gmail.com
अनुभाग ई-मेल: uktcoplan@gmail.com

पृष्ठ संख्या - 46

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 2171 / नियोजन / 13–161 / 2021 दिनांक 05/08/2021 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय–रिट याचिका संख्या–2112 / एम0एस0 / 2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–419 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 06–02–2020, पत्र संख्या–1889 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 23–07–2020 एवं पत्र संख्या–3386 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 11–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–2112 / एमएस / 2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06–07–2018 को अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखत निर्देश पारित किये गये हैं:–

(S) All the District Magistrates, throughout the State of Uttarakhand are directed to provide sufficient land for parking the seized vehicles by the Transport Department, as desired by Mr. D. Senthil Pandiyan within three months, to be called "Traffic Awareness Centres", throughout the State of Uttarakhand, as suggested by Mr. M.S. Chauhan, learned Advocate within a period of three months from today.

इसके अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 01–11–2019 में राज्य के सभी जनपदों में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग को अपेक्षित भूमि आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी